रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 17—अप्रैल 23, 2011, शनिवार/चैत्र 27—वैशाख 3, 1933
No. 17] NEW DELHI, APRIL 17—APRIL 23, 2011, SATURDAY/CHAITRA 27—VAISAKHA 3, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता) भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता) भर्ती संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये 14 मार्च, 2009 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) (कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता) भर्ती नियम, 2009 में,

(i) नियम 2 में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) अनुसूची में,—

(क) स्तंभ 4 के अधीन, स्तंभ शीर्षक "वेतनमान" के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शीर्षक रखा जाएगा;

(12)

(ii) With five years' regular service in Pay Band-3, in the Pay Scale of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 5400 in the parent cadre or department; and

(b) possessing five years' experience of establishment, administration and accounts matters.

Note 1 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary .

[F. No. 801/17/2009-F(C)]

AMITABH KUMAR, Director (Films)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, प्रोटोकॉल अधिकारी भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय में प्रोटोकॉल अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रोटोकॉल अधिकारी भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रोटोकॉल अधिकारी	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. (ग्रेड वेतन 4600 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
100% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी/कानूनी स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(12)
(ii) जो उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या मूल काडर/विभाग में सदृश वेतनमान के पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा कर चुके हों; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है :- **आवश्यक :-** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्या में बैचलर डिग्री; (ii) प्रोटोकॉल/लोक संपर्क कार्य का एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 1-1-2006/वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएंगी सिवाय इसके जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12011/4/2009-पी. I]

मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 20th April, 2011

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Environment, Forests and Wildlife Protocol Officer Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Protocol Officer Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, Classification and Scale of pay.—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed thereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Protocol Officer	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 (Grade Pay Rs. 4600)	Not Applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
100% deputation (including short-term contract)/ absorption	**Deputation (including short-term contract)/absorption** Officers under the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/recognized research institutions/ Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organizations :

1309 GI/11-3

	(12)
	(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience : **Essential :** (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognized University; (ii) One year's experience of Protocol/Public Relation work. **Note :** Officers of Central Government/State Government/Union Territories only will be eligible for consideration for appointment on absorption basis. [Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)/ absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.] **Note :** For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract)/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/ Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-12011/4/2009-P. I]

MOHAN LAL WADHWANI, Under Secy.